न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. हरीश लखवानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास लखवानी, उम्र 41 वर्ष, जाति- सिंधी निवासी- पिनजारों का वास, पेलेस रोड, सिरोही, जिला- सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही

प्रकरण संख्याः 18/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

1. हरीश लखवानी, प्रतिवादी अभियुक्त स्वयं

-: निर्णय :- दिनांक 23 अक्टूम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 16.4.2018 को समय 1.00 पी.एम. पर आवेदक विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौरानें गश्त चैकिंग फर्म आर.के.एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही पर पॅहुचा एवं विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह हरीश लखवानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास लखवानी, जाति- सिंधी, निवासी- पिनजारों का वास, पेलेस रोड, सिरोही है एवं फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) आदि विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। उक्त दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के 6 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम)

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

क्रय किये एवं उसकी रुपये 500/- अदा कर रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा चारों नमूना पाउचेज को अलग-अलग गत्ते के डिब्बों में रखकर ढ़क्कन से बंद किया, टेप से चिपकाया। चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-787 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी ने पढ़कर सुनकर सही मानकर हस्ताक्षरकर्ता किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की और उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 17.4.2018 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 17.4.2018 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी से वास्ते जाचं क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का नमूना S-787 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। जांच रिपोर्ट संलग्न है। खाद्य कारोबारकर्ता को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म नम्बर 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करेन हेतु सूचित किया गया, लेकिन हरीश लखवानी ने पुन: जांच का आवदेन प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ

....पेज तीन पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने अभियुक्त हरीश लखवानी द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा **2(ii)** का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया है। अतः यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त हरीश लखवानी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 23.10.2018 को प्रतिवादी अभियुक्त हरीश लखवानी इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 16.4.2018 को जिस खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का नमूना संख्या एस-787 जांच के लिये लिया था, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया था। उसका सप्लाई बिल मेरे पास मौजूद नही है, क्योंकि वह मुझे प्रोडक्ट प्रमोशन स्कीम के तहत प्राप्त हुआ था। भविष्य में बिल प्राप्त करके ही आईटम खरीदूंगा एवं विक्रय करुंगा, इसमे मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नही होगी। लोक अदालत की भावना से प्रकरण में कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण समाप्त करावे।

(2) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 23.10.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा उक्तानुसार जुर्म स्वीकार कर लिया जाने से कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही समझा गया तथा प्रकरण में दिनांक 23.10.2018 को ही अभियुक्त की बहस सुनी गई। अभियुक्त ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.4.2018 को मेरी दुकान से जिस खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का नमूना जांच हेतु क्रय किया था, वह जांच में मिस ब्राण्ड पाया गया है। यह कि उक्त खाद्य पदार्थ मुझे प्रोडक्ट प्रमोशन स्कीम के तहत प्राप्त हुआ जिसका सप्लाई खरीद बिल मेरे पास नही है। मै भविष्य में बिल से खाद्य पदार्थ क्रय व विक्रय करुंगा, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

16.4.2018 को समय 1.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही पर गये। उक्त फर्म आर.के एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से हरीश लखवानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास लखवानी, जाति- सिंघी, निवासी- पिनजारों का वास, पेलेस रोड, सिरोही उपस्थित मिले। जो खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु आने वाले खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय की इच्छा जाहिर करते हुए गवाहान के समक्ष इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान में आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के 6 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) क्रय किये एवं उसकी कीमत रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) नकद अदा कर खरीद बिल तैयार कर रसीद प्राप्त की गई। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी एवं गवाह श्री विशालसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सरा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही व गवाह श्री लादूराम पुत्र श्री भानाराम, रेबारियों का वास, मुकाम पोस्ट-गोयली, तहसील व जिला- सिरोही के तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-787, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के चारों नमूना पाउच को अलग अलग गत्ते के डिब्बों में रखकर ढ्क्कन से बंद किया व टेप से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-787 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी से खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के 4 पैक्ड पाउच (प्रत्येक एक किलोग्राम) क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफो में रखकर लिफाफो को सील चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 17.4.2018 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.4.2018 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का नमूना संख्या S-787 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक: L.S./304/Act/2018/324 दिनांक 25.4.2018 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) मिथ्याछाप (Misbranded) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है उक्त फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड, सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता हरीश लखवानी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त हरीश लखवानी ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) का खरीद सप्लाई बिल प्रस्तुत नही किया तथा न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में, मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Mayonnaise (Food Coast Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी अभियुक्त हरीश लखवानी दोषी पाया जाता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त हरीश लखवानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास लखवानी, जाति- सिंधी, निवासी- पिनजारों का वास, पेलेस रोड़, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म आर.के. एजेन्सी, पेलेस रोड़, सिरोही, तह. व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त हरीश लखवानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास लखवानी, जाति- सिंधी, निवासी- पिनजारों का वास, पेलेस रोड़, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही